(ख) क्या सरकार ने लघु सिंचाई योजना को लोकप्रिय बनाने तथा उसका विकास करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना से प्रतिवर्ष कितने एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो कृषि में सिंचाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके लिए पर्याप्त प्रबंध करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को योजनागत निधियों के तहत उपलब्ध कराई गई राशि 2559.22 करोड़ रुपए है । वर्ष 1992-93 के दौरान उपलब्ध की गई 1743.73 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में यह राशि 47% अधिक है ।

(ख) से (घ) लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए 10.711 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के वास्ते आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अधिक परिव्यय उपलब्ध किया गया है अर्थात् 5977.26 करोड़ रुपए योजनागत परिव्यय तथा 5119 करोड़ रुपए संस्थागत निवेश । सृजित की गई/सृजित की जाने वाली वर्ष-वार अनन्तिम क्षमता निम्न प्रकार है :

1992-93

1.70 मिलियन हेक्टेयर (वास्तविक)

1993-94

1.39 मिलियन हेक्टेयर (प्रत्याशित)

1994-95

1.90 मिलियन हेक्टेयर (लक्ष्य)

केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित की गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली; सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम; मरुस्थल विकास कार्यक्रम आदि के अंतर्गत वित्तीय सहायता का प्रावधान करके लघु सिंचाई योजनाओं को लोकप्रिय बनाया जा रहा है तथा इनका विकास भी किया जा रहा है ।

Water reqairement of Dielhi

5198. SHRI RAM NATH KOVIND : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what is the total requirement of water consumption of Delhi;

(b) what is the availablity of water through various sources to meet the requirement ;

(c) whether Governmeat of NCT of Delhi submitted proftosals for meeting deficit requirement from other Stater, of so, what is the Central Govermnenit's reaction thereto and what is the present status of its action plan, if any ; and

(d) whether it is a fact that Minister for Water Resources intervened in the water dispute between Delhi and Haryana and whether the dispute has been *resolved* for all the times to come ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVaOP-MENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) According to Delhi Water, Supply and Sewage Disposal Undertaking, Delhi reqsires about 700 million gallon per day (MOD) of water to meet the drinking water as well as other requirements for the present population including floating population.

(b) About 550 MOD of water is being produced at present by optimisation of Water Treatment Plants in Delhi. Raw water is made available from various sources like surplus Ravi-Beas waiters, Yamuna waters, Ramganga waters and giound water.

(c) Delhi Government had reqaested Union Government to persuade Haryana Government to supply additional raw water to Delhi to meet the deficit. The Union Government has been requesting Haryana Goveranient to supply additional water to Delhi whenever such a shortage

has occurred. In addition Union Government have suggested short term measures to Delhi to avoid water crisis.

(d) There is no water disipute between Delhi and Hairyana at present. Haryana is supplying additional raw water to Delhi on payment from its own share of Ravi - Beas/Yamuna waters keeping in view its own requirement of irrigation and drinking water.

सरकार के समक्ष लम्बित नदी जल विवाद

5199. **श्रीमती स्वराज** : क्या जल संसाधन मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1766 को दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ये नदी जल विवाद समाधान के लिए कब से लम्बित हैं; और

(ख) क्या सरकार इन विवादों के शीघ्र समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास किए जाने के संबंध में विचार कर रही है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) तमिलनाडु सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एक अधिकरण गठित करने के लिए जुलाई, 1986 में औपचारिक रूप से अनुरोध किया था। भारत सरकार ने इस बात से स्वयं संतुष्ट होने के बाद कि इस विवाद को बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता है, 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण गठित किया था।

पंजाब समझौता पंचाट के पैराग्राफ-9 के अनुसरण में अप्रैल, 1986 में भारत सरकार द्वारा अपनी ओर से रावी व्यास जल अधिकरण गठित किया गया था।

जल संसाधन क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय मुद्दों से संबंधित स्थायी समिति को अंबाला तक यमुना जल के आबंटन से संबंधित मुद्दा भेजा गया था। समिति की पहली बैठक 11-9-90 को आयोजित की गई थी।

(ख) कावेरी और रावी व व्यास मुद्दे पहले से ही जल विवाद अधिकरणों के पास हैं, यमुना जल के आवंटन से संबंधित मुद्दे का हल इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी भागीदार राज्य एक साथ मिलकर स्थायी समिति की बैठकों में चर्चा करके आम सहमति पर पहुंचते हैं।

Investigation of closure of sluice gates

5200. SHRI CHIMANBHAI MEHTA : SHRI MOHD. MASUD KHAN : SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : SHRI SARADA MOHANTY : SHRI G. G. SWELL :

Will the Minister of WATE RESOURCES be pieased to state :

(a) whether Goveriunent are aware that the Ministry of Environment has decided *io* send or has already sent a team to SSP to invesligate about the closure of sluice gates and its effect on the villagers who are residing in the proposed submerged area ;

(b) if so, whether Government have taken into consideration the Tribunal Award which restricts the review up to 45 years and to be done unanimously by the four concerned States and the Centre ;

(c) what are, the terms of the investigation laid down by Government;

(d) whether the team was sent after consultation with Water Resources Depart ment ;

(e) if not, the reasons therefor ;

(f) the progress of SSP related to construction of dam-height Canal and distributaries till this day ;

(g) what is the amount spent so far on the construction of Dam height, Canal construction, distributaries construction and in acquiring land; and

(h) whether the cement lining of Canal costs one third of the Canal construction.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINICTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) A fact finding team comprising S/Shri S. C. Maudgal (Adviser, Ministry of Environment & Forests), Kushalappa (Regional Chief Conservator of Forests), Bittu Sahgal and Shyam Chainani (Environmentalists), was constituted to visit the project area and report back on the compliance status of environmental action plans, including rehabilitation, in the wake of closure of sluices. The objective of the team is not to review the height of the dam.